न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)

पीठासीन अधिकारी विश्वामित्र मीना आर.ए.एस.

वाद संख्या :– 02/81/2018

बसन्ती देवी बनाम श्रीराम वगैरा

प्रार्थना पत्र 212 आर.टी. एक्ट

दिनांक 23.08.2018

आज यह पत्रावली वास्ते निर्णय न्यायालय में पेश हुई। वकुलाय उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में दिनांक 04.07.2018 को आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 134/0.01, 109/0.34, 135/0.28, 178/0.20, 178/1230/0.12, 131/0.04, 178/1244/0.05, 110/0.15, 114/0.04, 119/0.05, 120/0.04, 109/1242/0.34, 135/1241/0.28, 178/1243/0.20, 178/1245/0.12 वाके ग्राम नारायणपुर तहसील राजगढ में एकतरफा बहस वकील वादी सुनी जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्ध दिनांक 16.07.2018 तक इस आशय की अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई थी कि वो विवादित आराजी से प्रार्थी को उसके हिस्से से बेदखल न करें, कार्यकाश्त में रूकावट मजाहमत न करें, आराजी को जरिये रहनबय द्वारा दीगर जगह मुन्तकिल न करें तथा प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब करने के आदेश दिए गये। अप्रार्थीगण असालतन वकालतन उपस्थित न्यायालय आये। उनके द्वारा जवाब पेश नहीं किया गया तथा वकुलाय द्वारा अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आदेश दिनांक 04.07.2018 को ताफैसला दावा स्थाई करने में सहमति दी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। प्रकरण में अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा का आदेश वर्ष 2018 से प्रचलन में है तथा वकुलाय उक्त आदेश को ताफैसला दावा स्थाई करने बाबत् सहमत भी है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी हस्ब सहमति वकुलाय काबिल स्वीकार योग्य पाया जाता है। अतः

आदेश है कि

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर.टी. एक्ट आराजी विवादित हाल खसरा नम्बर 134/0.01, 109/0.34, 135/0.28, 178/0.20, 178/1230/0.12, 131/0.04, 178/1244/0.05, 110/0.15, 114/0.04, 119/0.05, 120/0.04, 109/1242/0.34, 135/1241/0.28, 178/1243/0.20, 178/1245/0.12 वाके ग्राम नारायणपुर तहसील राजगढ स्वीकार किया जाता है। इस न्यायालय का पूर्व आदेश दिनांक 04.07.2018 का प्रचलन दावे के निस्तारण तक स्थाई किया जाता है। निर्णय आज दिनांक 23.08.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

पत्रावली नम्बर से कम होकर बाद पूर्ति मूलवाद के संलग्न हो।

(विश्वामित्र मीना, आर.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी राजगढ (अलवर)